



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17052023-245914  
CG-DL-E-17052023-245914

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2123]  
No. 2123]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 17, 2023/वैशाख 27, 1945  
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 17, 2023/VAISAKHA 27, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय  
(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 मई, 2023

का.आ. 2216(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :--

- (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2023 है।  
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
- उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 में, खंड 8 के उपखंड (3) के छठे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -

"परन्तु यह कि किण्वित जैविक खाद और तरल किण्वित जैविक खाद के निर्माता को उक्त आदेश के खंड 8 के उपखंड (3) के अधीन अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी।"

[फा. सं. 3-4/2022 उर्वरक विधि]

योगिता राना, संयुक्त सचिव

**टिप्पणः**-मूल आदेश अधिसूचना संख्या सा .का. नि 758(अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या का. आ. 1024 (अ) तारीख 2 मार्च, 2023 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department of Agriculture and Farmers Welfare)**

**ORDER**

New Delhi, the 17th May, 2023

**S.O. 2216(E).**—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely: -

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Fourth Amendment Order, 2023.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertilizer (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, after the Sixth proviso to sub-clause (3) of clause 8, the following proviso shall be inserted namely:-

"Provided also that the manufacturer of Fermented Organic Manure and Liquid Fermented Organic Manure, shall not be required to obtain the authorisation letter under sub-clause (3) of clause 8 of the said Order for a period of three years from the date of issue of notification . "

[F. No. 3-4/2022 Fert Law]

YOGITA RANA, Jt. Secy.

**Note:-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification GSR No.758 ( E) dated 25<sup>th</sup> September,1985 and was last amended *vide* notification number S.O. 1024 ( E) dated 2<sup>nd</sup> March, 2023.